[2022] 19 एस. सी. आर 853

ए.

आवास आयोग के माध्यम से यू. पी. आवाम विकास परिषद

बनाम

राम सिंह (डी) टीएच। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 3023-3024) अप्रैल 20,2022

बी.

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:एस।48 – 'वास्तविक' अधिकार का दायरा-अधिग्रहण का पूरा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा नहीं होने पर मुआवजा दिया जाना चाहिए-भूमि का अधिग्रहण।28 यू. पी. आवास एवं विकास परिषद प्रशासन, 1965-आपातकालीन खंड लागू किया गया-अधिग्रहित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया-प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि को छूट देने के लिए अधिसूचना-अधिग्रहण के लाभार्थी द्वारा प्रतिनिधित्व-अधिसूचना दिनांक 25.04.2008 छूट अधिसूचना रद्द कर दी गई और संबंधित विभाग को मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया-भूमि मालिक द्वारा लिखित याचिकाएं, दिनांक 25.04.2008 अधिसूचना को चुनौती देते हुए-उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी-अपील पर, कहा गया:अधिग्रहण से वापस लेने का निर्णय न्यायोचित है-इस तरह की निकासी से पहले लाभार्थी को एक अवसर की पेशकश की जानी चाहिए-धारा 48 के तहत अधिसूचना 07.07.2005 पर जारी की गई है और अधिसूचना की सामग्री, अन्य बातों के साथ, यह इंगित करती है कि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था और कब्जा लेना वास्तविक कब्जा नहीं है-कब्जा लेना जो यू/एस द्वारा शक्ति के प्रयोग को रोक देगा।48 खास का कब्जा या वास्तविक कब्जा लिया जाना चाहिए-अपीलार्थियों यू/एस के तहत कोई नोटिस स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं।9(3) जो प्रत्यर्थी की भूमि के अधिग्रहण के लिए जारी किया गया था-लाभार्थी-अपीलार्थी ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है।भारत का संविधान, 1950:अनुच्छेद 300 ए-किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के अधिकार के-आयोजित:जनहित में भूमि अधिग्रहण की अनुमति है-अनुच्छेद 300 ए घोषित करता है कि अपनी संपत्ति को वंचित होने से बचाना किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और वंचित होने की अनुमति केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

853

854 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

ए.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** जनहित में भूमि अधिग्रहण की अनुमति है।निस्संदेह**,** अनुच्छेद **300** ए घोषणा करता है कि अपनी संपत्ति को अभाव से बचाना किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और अभाव की अनुमति केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है। तथापि**,** विशिष्ट क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** जिसके संबंध में कानून समय**-**समय पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अपनी अभिव्यक्ति पाता है**,** व्यक्तियों की भूमि**/**संपत्तियों का अधिग्रहण करना पड़ सकता है**,** जिसके लिए प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निर्धारित की गई है।धारा **6** के तहत घोषणा से गुजरने वाली धारा **4** के तहत एक अधिसूचना के साथ शुरुआत करने के बाद धारा **9** के तहत नोटिस दिए जाते हैं**,** अंत में यह एक पुरस्कार में समाप्त होता है।इस बीच**,** यदि तत्काल कब्जा लेने की आवश्यकता है**,** तो धारा **4** के तहत अधिसूचना जारी होने पर और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा **9 (1)** के तहत जारी किए गए नोटिस के **15** दिनों के बाद भी धारा **5** ए के तहत जांच करके कब्जा लिया जा सकता है। **[**पैरा **13,14] [870-**जी**-**एच**; 871-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 पावर यू**/**एस।**48** भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक वैधानिक प्राधिकरण के साथ निहित है क्योंकि सभी शक्तियों के मामले में**,** सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता और धारा **48** के तहत शक्ति के प्रयोग में मनमानेपन से बचने की अनिवार्य आवश्यकता अपरिहार्य है।**[**पैरा **15] [871-**एफ**]**

ई.

1.3 अधिग्रहण से हटने का निर्णय न्यायोचित है।दूसरे शब्दों में**,** जिसे सरकार के पास स्वतंत्रता या शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है**,** उसे निष्पक्ष और प्रामाणिक तरीके से कार्य

करने के कर्तव्य के रूप में भी समझा जाना चाहिए।इसका मतलब यह है कि अपरिहार्य और अपरिहार्य आवश्यकता प्रस्तुत करें, अर्थात्, अधिनियम के तहत भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है, यह एक उपयुक्त और उपयुक्त मामले में खुला है और जनहित और सरकार के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।अधिग्रहण से हटने का निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक सूचनाओं को ध्यान में रखना प्राधिकरण का कर्तव्य है।यह भी स्पष्ट है कि अधिग्रहण से निकासी से पहले उस लाभार्थी को अवसर दिया जाना चाहिए जिसके कहने पर अधिग्रहण किया जाना है।यह भी स्पष्ट है कि अधिग्रहण से निकासी केवल अधिसूचना जारी करके ही की जा सकती है।**[**पैरा **16] [873-**एफ**-**एच**]** ए

एफ.

जी.

एच.

855

यू. पी. आवास आयोग बनाम राम सिंह (डी) टीएच के माध्यम से अवाम विकास प्रसाद थे। एलआरएस।

1.4 एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि धारा **48** के तहत प्रयोग की गई शक्ति की वास्तविक प्रकृति क्या है।यह एक ऐसी शक्ति है जो एक वैधानिक प्राधिकरण के पास निहित है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि शक्ति का प्रयोग उन आदेशों के संदर्भ में किया जाएगा जिनके तहत सक्षम प्राधिकारी को मामले में कार्य करने का अधिकार होगा।जो कोई भी प्राधिकरण है जो मौजूदा मानदंडों के अनुसार शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वह उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो शक्ति के प्रयोग के लिए एक चुनौती के सामने अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।**[**पैरा **17] [874-**बी**-**सी**]**

बी.

1.5 वर्तमान मामले में, अन्य बातों के साथ**-**साथ, यह प्रत्यर्थी का मामला था कि कब्जा नहीं लिया गया था।उक्त अनुरोध के आधार पर, **07.07.2005** पर धारा **48** के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है।अधिसूचना की सामग्री, अन्य बातों के साथ, यह इंगित करती है कि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था और कब्जा लेना वास्तविक कब्जा नहीं है।कब्जा लेना जो धारा **48** के तहत शक्ति के प्रयोग को रोकता है, वह खास कब्जा या वास्तविक कब्जा लेना होना चाहिए।**07.07.2005** की अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अपीलार्थी को प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया था और इसके बाद तीन अनुस्मारक दिए गए थे।अपीलार्थी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए, जहां तक लाभार्थी का संबंध है, प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों का पालन किए बिना धारा **48** के तहत अधिग्रहण से वापसी की गई थी।**[**पैरा **18] [874-**डी**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

1.6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा **17 (1)** के अवलोकन से पता चलेगा कि उन मामलों में कब्जा लिया जा सकता है जहां धारा **9 (1)** के तहत नोटिस के प्रकाशन के **15** दिनों की समाप्ति पर तत्काल खंड लागू किया जाता है।यहाँ प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है कि क्या कब्जा संबंधित तिथि के संदर्भ में लिया गया था जो धारा **9 (1)** के तहत नोटिस का प्रकाशन है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा **9 (1)** वास्तव में सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता के बारे में बताती है।धारा **9 (3)** भूमि मालिकों को व्यक्तिगत नोटिस देने के कर्तव्य के बारे में बात करती है।जैसा कि सही ढंग से बताया गया है**,** धारा **9 (3)** के तहत नोटिस की गैर**-**सेवा अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।लेकिन तब धारा **9 (3)** नोटिस की प्रासंगिकता यह है कि अगर इसे पेश किया गया होता और साबित किया गया होता**,** तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता।

एफ.

जी.

एच.

ए.

अपीलार्थी के मामले को साबित करने में लंबा रास्ता तय किया कि वास्तव में कब्जा ले लिया गया था।यह ध्यान देना उचित है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में की गई अपील में**,** अपीलार्थी ने अभिनिर्धारित किया कि उसके पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि नोटिस जारी किया गया था।**[**पैरा **19] [874-**जी**-**एच**; 875-**ए**-**सी**]**

1.7 यह एक सूचना है जो मालिक को इस तथ्य के बारे में सूचित करती है कि पुरस्कार **28.09.1985** पर पारित किया जाने वाला है।धारा **9 (3)** के तहत तथाकथित नोटिस की तारीख **25.09.1985** है।धारा **9** के तहत एक नोटिस के बाद धारा **10** के तहत जांच की जानी चाहिए और धारा **11** के तहत पुरस्कार को निश्चित रूप से नोटिस के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो केवल मालिक को पुरस्कार पारित करने के लिए निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करता है।नोटिस की तारीख और पुरस्कार पारित करने के लिए निर्धारित तारीख के

बीच केवल तीन दिनों का अंतराल होता है।इसलिए, अपीलार्थियों यह साबित नहीं कर पाए हैं कि धारा **9 (3)** के तहत कोई नोटिस जारी किया गया था।**[**पैरा **21] [877-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

1.8 प्राधिकरण ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांकित **15.09.2006** आदेश से समर्थन प्राप्त करने का इरादा किया है।दिनांक **15.09.2006** के आदेश में निस्संदेह घोषणा की गई थी कि अधिग्रहण से छूट या अधिग्रहण से निकासी पर संबंधित विभाग का ध्यान जाना चाहिए। इसकी शर्तों से संकेत मिलता है कि सरकार ने वर्ष **2002** में पारित पहले के आदेश को समाप्त करने का निर्णय लिया है।दिनांकित **15.09.2006** आदेश में स्पष्ट है कि इसका 'तत्काल प्रभाव' होना था।इसका मतलब है कि यह पूर्वव्यापी नहीं था।इसका आगे अनिवार्य रूप से मतलब है कि यह उन आदेशों/अधिसूचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है जिन्हें **15.09.2006** से पहले धारा **48** के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए जारी किया गया था।फिर भी दिनांकित **25.04.2008** आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सरकार दिनांकित **15.09.2006** आदेश के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी है।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना किया गया विवादित आदेश पूरी तरह से एक ऐसे आदेश पर आधारित है जिसका तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि जब धारा **48** के तहत अधिसूचना जारी की जाती है, तो किसी मामले में प्राप्त तथ्यों के बावजूद इसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है।इस तथ्य के अलावा कि यह किसी दिए गए मामले में पीड़ित पक्ष के कहने पर न्यायालय में चुनौती देने के लिए खुला है, यदि यह दिखाया जाता है कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो प्राधिकरण के लिए इसे पूर्ववत करने के लिए खुला हो सकता है।यह एक प्रशासनिक आदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वैधानिक प्रावधान ए के तहत जारी किया गया है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

857

यू. पी. आवास आयोग बनाम राम सिंह (डी) टीएच के माध्यम से अवाम विकास प्रसाद थे। एलआरएस।

एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा।चूँकि कानून यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं और शक्ति का उपयोग लाभार्थी को मालिक से अलग अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जा सकता है, ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि एक अधिसूचना बिना किसी सूचना के जारी की गई थी, जो एक वैध अधिसूचना पारित करने के लिए अपरिहार्य है, यह सरकार के लिए अधिसूचना के प्रभाव को पूर्ववत करने के लिए खुला हो सकता है।इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी का अपने अभ्यावेदन में यह भी मामला नहीं है कि अधिसूचना में यह कथन कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अपना अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था, गलत था। अपीलार्थी के अभ्यावेदन में ऐसा कोई मामला नहीं था कि उसे आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।अपीलार्थी यह तर्क देते हुए इस चूक को ठीक करना चाहता है कि एक आधार उठाया गया था कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया था। अपीलार्थी को इस मामले के तथ्यों में ऐसी चूक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो हमारे चेहरे पर टकटकी लगाती हो।अपीलार्थी ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है।**[**पैरा **23] [877-**एफ**-**एच**; 878-**ए**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

अमरनाथ आश्रम ट्रस्ट सोसायटी और अन्य।राज्यपाल

यू. पी. और अन्य। (1998) 1 एससीसी 591:1997(6) पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 143;** लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम**.**गुजरात राज्य

और ओआरएस। (1998) 4 एससीसी 387:1998 (2) एस. सी. आर. 339; राज्य

सरकार. बेघर हरिजन कर्मचारी संघ बनाम राज्य

ई.

कर्नाटक और ओआरएस। (2001) 1 एससीसी 610:2000 (5) पूरक।एससीआर 483-पर निर्भर।

मोहिंदर सिंह गिल और ओआरएस. वी.मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। (1978) 1 एससीसी 405:

1978 (2) एस**.** सी**.** आर**. 272-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

एफ.

[1978] 2 एससीआर **272**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1997] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 143** पर निर्भर

पैरा **15**

[1998] 2 एससीआर **339**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **16**

जी.

[2000] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 483** पर निर्भर

पैरा **16**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 3023-3024।

2008 की रिट याचिका संख्या 49944 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 31.8.2010 से।

एच.

858

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

ए.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 3025-3026।

विश्वजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक कुमार सिंह, पंकज सिंह, सुश्री रिधिमा सिंह, विग्नेश सिंह, सुश्री राशि सिंह, सुश्री विभा भट, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

यतींद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुराग ओझा, करण अग्रवाल, सुशील कुमार सिंह, के. पी. सिंह, कनिष्क चौधरी, शशांक सिंह, पुश्किन चौधरी, सुश्री चित्रा चौधरी, माधव सारस्वत, दिवाकर शुक्ला, प्रशांत चौधरी, धवल उनियाल, कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

के. एम. जोसेफ, जे.

1. 2017 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 23899-23900 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

देरी को माफ कर दिया गया।

डी.

छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों के पीछे एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है।यह सब अपीलार्थी द्वारा यू. पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 28 के तहत 10.11.1973 पर एक अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू हुआ।उक्त अधिसूचना को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के समतुल्य माना जाना चाहिए, जिसमें अन्य भूमि, खसरा भूखंड संख्या 7 और खसरा भूखंड संख्या 3 के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5.98 एकड़ है।यह यहाँ ही देखा जा सकता है कि राम रतन का निधन हो गया है और प्रतिवादी-राम सिंह उनका बेटा था और बदले में उनका निधन हो गया है और उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।अपीलार्थी ने 17.8.1977 पर अधिनियम की धारा 32 के तहत एक अधिसूचना जारी की।यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना के बराबर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत तात्कालिकता खंड 18.07.1979 पर लागू किया गया था।अपीलार्थी के अनुसार, भूमि का कब्जा 11.12.1981 और 31.3.1983 पर लिया गया था।अपीलार्थी का अगला मामला यह है कि मूल प्रतिवादी-राम सिंह द्वारा की गई बिक्री का मामला था।भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत 25.09.1985 पर जारी किए गए नोटिस और 28.09.1985 पर एक पुरस्कार पारित किए जाने का संदर्भ है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

859

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

3. यह अपीलार्थी का आगे का मामला है कि मूल प्रत्यर्थी-राम सिंह ने 19.11.1985 पर मुआवजे का दावा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि वह मूल कार्यकाल धारक का बेटा था और उसने भूमि के संबंध में कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया था।बाद के खरीदारों (डॉ. राज कुमार चतुर्वेदी और अन्य) के खिलाफ शुरू की गई कुछ मुकदमों का प्रचुर संदर्भ है।इस मुद्दे पर आने के लिए, इसकी शुरुआत अधिसूचना के साथ हुई जो 07.07.2005 पर जारी की गई थी जिसका उद्देश्य खसरा संख्या 3 और 7 को अधिग्रहण से छूट देना था।इसके बाद अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ आई. डी. 1 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और पुरस्कार पारित कर दिया गया है और इसके अलावा, कब्जा भी ले लिया गया है।यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में उत्परिवर्तन किया गया था।इसके कारण सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25.04.2008 जारी की।उक्त अधिसूचना में सरकार ने पहले की अधिसूचना दिनांक 07.07.2005 को रद्द कर दिया और मामले को संबंधित विभाग द्वारा विचार के लिए निर्देशित किया।उक्त अधिसूचना दिनांक 25.04.2008 से व्यथित होकर, प्रतिवादी-राम सिंह ने एक सिविल मिस्क दायर किया।2008 की रिट याचिका संख्या 49944। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2010 के फैसले द्वारा अनुमति दी गई।दिनांक 31.08.2010 के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2010 की एस. एल. पी. (सी) Nos.34271 और 2010 की 34090 विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी।अनुमति दी गई और इस न्यायालय द्वारा 2012 की सिविल अपील संख्या 6272 और 2012 की सिविल अपील संख्या 6273 का निपटारा किया गया, जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 1 के आदेश को वापस लेने की अनुमति दी गई।अपीलार्थी ने दिनांकित 31.08.2010 आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया और इसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.12.2016 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी 31.08.2010 और 20.12.2016 दिनांकित आदेशों को चुनौती देता है।अन्य अपीलें उसी अपीलार्थी द्वारा दायर की गई हैं जो उसी तर्ज पर फैसले को चुनौती देती हैं जो वर्ष 1984 में श्री राम सिंह से खरीदने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर मुकदमे में पारित की गई हैं। 4.हमने अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वजीत सिंह और मूल प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जतिंदर सिंह-श्री राम सिंह और बाद के खरीदार की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा को भी सुना है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वजीत सिंह हमारे समक्ष आग्रह करेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा जो कुछ भी किया गया था, वह पहले के आदेश को वापस लेना और मामले को निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंपना था।

एच.

क्या सरकार को अधिग्रहण से पीछे हटना चाहिए और श्री राम सिंह और राम सिंह से तथाकथित खरीदारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वारंट नहीं था।

यह इंगित किया गया है कि यह एक ऐसा मामला है जहां विचाराधीन भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अधिनियम की धारा 28 के तहत जारी अधिसूचना का विषय बनती है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी किया जाता है और अंत में यह एक पुरस्कार में समाप्त होता है।पुरस्कार के तहत देय राशि विधिवत जमा की गई थी।यह सब भूमि के प्रत्यर्थी-मूल मालिक द्वारा दिनांकित 19.11.1985 के एक संचार को संबोधित करने में स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया हैः

बी.

सी.

“विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी यू. पी. आवास एवं विकास परिषद, कमला नगर, आगरा

डी.

साहब,

आपके पत्र का अर्थ लेने के संबंध में नहीं। 414/81 Dwa। (ए. वी. परिषद) दिनांक 11.11.85 अन्यथा, यह आपको सूचित करने के लिए है कि खसरा नं. 3 और 7 लगातार राम रतन और आवेदक राम सिंह पुत्र श्री राम रतन पुत्र नागरी मोहल्ला के नाम पर दर्ज कर रहे हैं, मथुरा श्री राम रतन का इकलौता बेटा है और इस प्रकार, वह उक्त भूमि का एकमात्र मालिक है।यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने उपरोक्त भूमि के संबंध में न तो कोई

बिक्री विलेख निष्पादित किया है और न ही पावर ऑफ अटॉर्नी।इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आवेदक राम सिंह को उपरोक्त पूरी भूमि का मुआवजा दें।विचार के लिए प्रस्तुत किया।

ई.

एफ.

आभार व्यक्त करते हैं।

आपकी वफादारी से,

जी.

एस. डी./- अवैध

राम सिंह पुत्र राम रतन

आर/ओ मोहल्ला नगरी, मथुरा

तारीखः19.11.85

एस. डी/- राम सिंह "

एच.

861

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

6. वह प्रस्तुत करेगा कि पुरस्कार के पारित होने के तथ्य को स्वीकार करने के बाद और प्रक्रिया को नहीं लाने के बाद, पुरस्कार के पारित होने से पहले या इस बात पर सवाल नहीं उठाते हुए कि पुरस्कार पारित होने से पहले वास्तव में कब्जा ले लिया गया था, यह प्रतिवादियों के मुंह में यह तर्क देना नहीं है कि कब्जा नहीं लिया गया था।यदि कब्जा नहीं लिया गया था, जैसा कि वास्तव में मामला है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत वापस लेने का सरकार के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह बात मामले की जड़ तक गई।यह आगे बताया गया है कि कब्जा लेने के अलावा, मामला उस स्तर तक बढ़ गया था जहां लेआउट को मंजूरी दी गई थी।ये भूमि कम आय वाले समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित आवास योजना के निष्पादन के लिए केंद्रीय और अभिन्न हैं।अपीलार्थी के मामले को सर्वोच्च जनहित के साथ देखा जाता है।किसी ऐसे अधिग्रहण से निकासी जो वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसमें प्रत्यर्थी जैसे व्यक्तियों के कहने पर हल्के से तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा जमा किए गए मुआवजे के लिए दावा करने के अपने अधिकारों को सीमित करने

के रूप में खुद को अभिनिर्धारित किया है।7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यतींद्र सिंह यह इंगित करते हुए अपीलों का कड़ा विरोध करेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी का पूरा आधार त्रुटिपूर्ण है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अर्थ के भीतर कब्जा प्रतीकात्मक नहीं हो सकता है।दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण से निकासी के खिलाफ वर्जना केवल तभी आकर्षित होती है जब वास्तविक कब्जा ले लिया गया हो।इस मामले में कब्जा नहीं लिया गया है।अपीलार्थी की ओर से कुछ दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा स्थापित करने के प्रयासों से सबसे अच्छा पता चलेगा कि कब्जा लिया गया था।भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए यह कानून में पर्याप्त नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जहां तक मुआवजे के वितरण के लिए अनुरोध की मांग का संबंध है, दिनांक 1 पर दिए गए संचार पर निर्भरता का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि यह केवल 2004 में जमा किया गया था और यह इस मामले के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता है।

जी.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 24.05.2008 दिनांकित आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना दिया गया है।वह इंगित करेंगे कि इसके पास कानून में खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से एक आदेश पर आधारित है जिसे सरकार द्वारा दिनांकित 07.07.2005 अधिसूचना के पारित होने के बाद पारित किया गया था।दूसरे शब्दों में, अधिसूचना दिनांक 07.07.2005 को सौंपी गई शक्ति पर आधारित किया गया था

एच.

सरकारी आदेश दिनांक 19.06.2002 द्वारा राजस्व विभाग।दूसरी ओर अपीलार्थी का मामला, जिसे सरकार के साथ दिनांकित 25.4.2008 आदेश में स्वीकृति मिली, दिनांकित 15.09.2006 आदेश की सामग्री पर आधारित है।

दिनांकित 15.09.2006 आदेश में स्पष्ट रूप से संभावित संचालन है।यह उन आदेशों को प्रभावित नहीं करता है जो इसे पहले पारित किए गए हैं।उस छोटे से आधार पर, 25.04.2008 दिनांकित आदेश में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं होगा।दूसरा, वह इंगित करेगा कि अपीलार्थी की शिकायत के विपरीत, यह निर्विवाद है, दिनांकित अधिसूचना की सामग्री को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी को दिनांकित अधिसूचना पारित होने से पहले अपना प्रतिनिधित्व करने या सुनवाई करने का अवसर दिया गया था।

बी.

सी.

8. वह आगे तर्क देंगे कि एक सरकारी आदेश को इस संदर्भ में आंका जाना चाहिए कि इसकी स्पष्ट शर्तों से क्या प्रवाहित होता है।सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा किसी कानून के तहत पारित आदेश को न्यायालय में दिए गए शपथ पत्रों या प्रस्तुतियों द्वारा वैध घोषित किया जाना अस्वीकार्य है।इसे अपने गुणों के आधार पर आंका जाना चाहिए, उस आधार के संदर्भ में जो क्रम में रखी गई है।रिलायंस को 1978 (1) एस. सी. सी. 405 में रिपोर्ट किए गए मोहिंदर सिंह गिल बनाम सी. ई. सी. मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

डी.

9. अन्य अपील में प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेगा कि यह न्यायालय नोटिस कर सकता है कि अपीलार्थी ने दिनांकित अधिसूचना 07.07.2005 को चुनौती देना उचित नहीं समझा।इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ई.

10. जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, वे इस प्रकार हैंः

एक अधिसूचना थी जिसे हम 10.11.1973 पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी एक अधिसूचना के रूप में चिह्नित करेंगे।इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक घोषणा की जाती है, जो 17.08.1977 पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के बराबर है।निस्संदेह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत तात्कालिकता खंड लागू किया गया था। 28.09.1985 पर एक पुरस्कार पारित किया गया था।यह भी सच है कि पहली अपील में मूल प्रत्यर्थी ने 19.11.1985 पर पुरस्कार के आधार पर मुआवजे की मांग की थी।19.06.2002 पर सरकार ने एक आदेश पारित किया है, जिसकी शर्तें इस प्रकार हैंः“नहीं.:592/1-13-2002-रा-13

एफ.

जी.

से,

हरीश चंद्र ए

एच.

863

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

प्रधान सचिव

सरकार. यू. पी. से

को,

1. उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

बी.

2. सभी विभाग प्रमुख/संभागीय आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, यू. पी.

लखनऊः19 जून, 2002

राजस्व विभाग।-13

उपःभूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत अधिग्रहण से भूमि की छूट के संबंध में

सी.

साहब,

उपरोक्त विषय पर, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार को समय-समय पर शिकायतें मिल रही हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 का उपयोग किया जा रहा है और अधिनियम की धारा 17 का उपयोग करने के बावजूद, अधिकांश अधिग्रहण निकाय न तो आवश्यक मुआवजा प्रदान कर रहे हैं और न ही भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।कुछ मामलों में, जहां अधिग्रहण निकाय के प्रशासनिक विभागों द्वारा अधिनियम की धारा 17 के तहत आधे-अधूरे प्रयास किए जाते हैं, वे राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के लिए धारा 17 का उपयोग करने के सार के विपरीत साबित हुए हैं।वास्तव में, अधिकांश अधिग्रहण निकाय, कोई आवश्यकता नहीं होने के बावजूद, प्रस्तावित योजना/परियोजनाओं में अधिनियम की धारा

17 का उपयोग करने के लिए अनुरोध करते थे।नतीजतन, कई साल बीत जाने के बाद भी, न तो अधिग्रहण निकाय अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेता है और न ही किसानों को निकाय से धन प्रदान नहीं करने के कारण उनका मुआवजा मिलता है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के प्रावधानों का उपयोग करने की स्थिति में, धारा 5 ए के प्रावधान समाप्त हो जाते हैं और भूमि मालिक सुनवाई का अपना अधिकार खो देते हैं।धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि भूमि का कब्जा, जिसमें धारा 17 लागू की गई है, पंद्रह दिनों की समाप्ति पर लिया जाना चाहिए।तत्काल कब्जा न लेने और आवश्यक धन जमा न करने के परिणामस्वरूप, धारा 17 का महत्व अप्रभावी साबित होता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

इसलिए, विभिन्न विकास परियोजनाओं में धारा 17 के कार्यान्वयन के दुरुपयोग को रोकने के लिए और उचित विचार के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अधिग्रहण निकायों को उस भूमि पर तत्काल कब्जा कर लेना चाहिए जहां धारा 17 के प्रावधानों का उपयोग किया गया है।केवल राजस्व विभाग के पास भूमि के किसी भी हिस्से को छूट देने की शक्ति होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है और ऐसी भूमि जहां अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।प्रशासनिक विभाग। अधिग्रहण निकाय के पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

बी.

आपकी वफादारी से,

हरीश चंद्र

सी.

प्रधान सचिव "

11. प्रत्यर्थियों (प्रत्यर्थी-राम सिंह के बेटों) ने राजस्व मंत्री को 12.11.2003 पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए शिकायत की कि उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर जारी नहीं किया गया था और पूरे अधिग्रहण को एकतरफा रूप से अंतिम रूप दिया गया था।

डी.

कथित बाद के खरीदारों द्वारा 10.12.2004 पर एक अभ्यावेदन भी था।यह उसी पर काम कर रहा है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 को लागू किया, और 07.07.2005 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की।वह इस प्रकार हैः-

“उत्तर प्रदेश सरकार

ई.

राजस्व खंड-13

नहीं.:31 आरएम/2-13-2005-7-5 (11)/2004

लखनऊः7 जुलाई, 2005

सूचना

एफ.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की "महोली भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या 2, मथुरा" के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 28 और 32 के तहत अधिसूचना क्रमशः 10.11.1973 और 10.9.1977 पर प्रकाशित की गई थी।खसरा नं. की भूमि। 7 रकबा 3.12 एकड़ और खसरा नं. 3 रकबा 2.66 एकड़ (कुल रकबा 5)। 78 एकड़) गाँव पालीखेड़ा, तहसील और ज़िले में स्थित है।मथुरा को उपरोक्त योजना में शामिल किया गया था।खसरा नं. के जमींदार। 7 और 3 ने 12.11.2003 पर सरकार को अपना प्रतिनिधित्व भेजा और अनुरोध किया कि उपरोक्त भूमि को मुख्य रूप से आधार ए पर अधिग्रहण से बाहर रखा जा सकता है।

जी.

एच.

865

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

कि भूमि उनके कार्यकाल और कब्जे में है।कि खसरा नं. में एक विद्युत ट्यूबवेल स्थापित किया गया था। 3 जिसका उपयोग दोनों खसराओं की सिंचाई के लिए किया जाता था।कि दो कमरों वाला एक शिव मंदिर भी उक्त भूमि पर स्थित था जो 1970 में बनाया गया था।शिव मंदिर के पास भूमि मालिकों के घर हैं और अधिग्रहण के समय सरकार ने शिव मंदिर और भूमि पर घरों/निर्माण की अनदेखी की थी।नियम के अनुसार इस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त आधारों पर, आवास अनुभव जी. ओ. दिनांक 2.3.2001 के माध्यम से महोली योजना भाग-1 में कुछ भूमि को छूट दी गई थी।

बी.

2. भूमि मालिकों के उपरोक्त आवेदन की फोटोकॉपी मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई और मामले में उनकी रिपोर्ट मांगी गई।इस संबंध में, योजना के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही करने वाले विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एवम विकास परिषद, आगरा ने अपने दिनांकित पत्र, आईडी1 के माध्यम से सूचित किया है कि भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है और भूमि उनके कब्जे में है और वे भूमि पर रह रहे हैं।

सी.

डी.

3. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एवम विकास परिषद, आगरा से उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा को दिनांकित एक और पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित) की धारा 9 के तहत नोटिस भूमि मालिकों को भेजा गया था या नहीं।सरकार के प्रश्न के उत्तर में, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, U.P.Avas इवाम

ई.

विकास परिषद, आगरा ने दिनांकित 7.10.2004 पत्र के माध्यम से सूचित किया कि फाइल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस भूमि मालिकों को नहीं भेजा गया था।

एफ.

4. इस संबंध में, ई. वी. ए. एम. विकास परिषद से भी आई. डी. 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद तीन अनुस्मारक दिए गए थे, लेकिन अब तक आवास विभाग से कोई रिपोर्ट या अंतरिम जवाब नहीं मिला है।

जी.

5. सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि मालिकों को खसरा सं. का मुआवजा नहीं मिला था। 7 और 3 रकबा क्रमशः 3,12 एकड़ और 2.66 एकड़ (कुल 5 एकड़)। 78

एकड़)।भूमि अधिग्रहण के लिए परिषद अधिनियम की धारा 28 और 32 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीखों से 28 साल बीतने के बावजूद, अधिग्रहण निकाय ने

एच.

भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई भी नोटिस, जो अधिग्रहण के लिए एक अनिवार्य कदम है, भूमि मालिकों को जारी नहीं किया गया था।यह इंगित करता है कि अधिग्रहण निकाय का विचाराधीन भूमि पर कोई हित नहीं है।इस संबंध में, अधिग्रहण निकाय के प्रशासनिक विभाग यानी अवस इवाम शहरी नियोजन की राय दिनांकित 18.1.2005 पत्र के माध्यम से मांगी गई थी, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में विचाराधीन भूमि भूमि मालिकों के भौतिक कब्जे में है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित) की धारा 9 के तहत उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भूमि मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अनुमति देते हुए खसरा सं. गाँव पालीखेड़ा, तहसील और जिला में स्थित 7 और 3 रकबा क्रमशः 3,12 एकड़ और 2.66 एकड़ (कुल 5,78 एकड़)।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1984 में यथा संशोधित) की धारा 48 (1) के अधीन अधिग्रहण से मथुरा।

बी.

सी.

डी.

अमरनाथ

अवर सचिव "यह उचित है कि अपीलार्थी ने इसे चुनौती देना उचित नहीं समझा।इसके बजाय, अपीलार्थी ने 24.10.2005 पर सरकार का रुख किया।अपीलार्थी ने क्या कहा है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

ई.

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अधिग्रहण अनुभाग)

नहीं.:242/ _____ /

एफ.

तिथि 24.10.05

को,

प्रधान सचिव

सरकार. यू. पी. से

जी.

आवास और शहरी नियोजन विभाग।लखनऊ।

उप.:भूमि खसरा सं. की छूट के संबंध में। महोली भूमि विकास ए के अंतर्गत 7 और 3 क्षेत्र क्रमशः 3,12 एकड़ और 2.66 एकड़ (कुल 5,78 एकड़) ग्राम पालीखेड़ा, तहसील और जिला मथुरा स्थित हैं।

एच.

867

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मथुरा जिले में शुरू की गई एवं आवास योजना संख्या 2।

प्रिय महोदय, उपरोक्त विषय पर, कृपया पत्र संख्या देखें। राजस्व विभाग का 1258/1-13-2005-7-5 (II)/2004-Ra-13 दिनांक 25.7.05।13, उत्तर प्रदेश सरकार और अधिसूचना संख्या 31/आर. एम./2-13-2005-7-5 (आई.)/2004 दिनांक 7.7.05 (प्रति संलग्न) जिसके द्वारा इस मामले पर राजपत्र प्रकाशन की प्रति जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थी।

बी.

2. इस संबंध में, यह आपको सूचित करना है कि खसरा नं. जिला मथुरा में महोली भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या 2 के तहत ग्राम पालीखेड़ा, तहसील और जिला मथुरा में स्थित 7 रकबा 3.12 एकड़ और खसरा संख्या 3 रकबा 2.66 एकड़ (कुल 5,78 एकड़) का उचित अधिग्रहण किया गया है और उक्त भूमि का कब्जा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी,

आगरा द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।इस भूमि का अधिनिर्णय भी घोषित कर दिया गया है और भूमि को परिषद के पक्ष में बदल दिया गया है।

सी.

डी.

3. उपरोक्त भूमि के संबंध में, परिषद ने इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय से परिषद के पक्ष में 29.4.92 पर स्थगन आदेश प्राप्त किया, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने प्रकृति में परिवर्तन और उक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए सभी कार्यों पर रोक लगा दी।

ई.

4. उपरोक्त भूमि की लेआउट योजना को मंजूरी दे दी गई है और स्थगन आदेश के कारण काम नहीं किया जा सका है।

5. यदि विचाराधीन खसरा संख्या को अधिग्रहण से छूट दी जाती है, तो लेआउट योजना के अनुसार सड़क निर्माण कार्य बाधित होगा।

6. परिषद ने पारित पुरस्कार के खिलाफ मुआवजे की पूरी राशि जमा कर दी थी।

एफ.

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिस भूमि पर पहले ही कब्जा कर लिया गया है, उसे छूट देना उचित नहीं लगता है।इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भूमि छूट से संबंधित आदेशों पर पुनर्विचार करें और आदेश को रद्द करवाएं।

जी.

एसडी/- नीरज कुमार गुप्ता

आवास आयुक्त 12.इस बीच, या दिनांक 07.07.2005 की अधिसूचना और दिनांक 24.10.2005 के अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, सरकार ने दिनांक 15.09.2006 का एक और आदेश जारी किया जो इस प्रकार हैः

एच.

नहीं.:1291/1-13-2006-20(46)/2002-रा-13

से,

वी. के. शर्मा

प्रधान सचिव

सरकार. उत्तर प्रदेश से।

बी.

को,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सरकार. उत्तर प्रदेश से।

राजस्व विभाग।13

लखनऊः15 सितम्बर, 2006 उपःभूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 48 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन।

सी.

प्रिय महोदय, ऊपर बताए गए विषय पर, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि जी. ओ. नहीं।592/1-13-2002-आर. ए.-13 दिनांक 19 जून, 2002 को निर्णय लिया गया है कि अधिग्रहण निकायों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि पर तत्काल कब्जा कर लेना चाहिए। राजस्व विभाग के पास भूमि के एक हिस्से को छोड़ने की शक्ति होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है और ऐसी कोई भी भूमि जहां निकाय द्वारा अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।प्रशासनिक विभाग।अधिग्रहण निकाय के पास इस आशय की कोई शक्ति नहीं होगी।

डी.

ई.

2. उपरोक्त जी. ओ. को पारित करने के बाद, यह महसूस किया गया कि व्यावहारिक कठिनाइयाँ, विशेष रूप से, भूमि मालिकों के आवेदनों को उनकी भूमि की छूट के लिए तय करने में अनुचित देरी हुई थी।इसलिए, यह उचित पाया गया कि उचित और त्वरित निर्णय केवल उस विभाग द्वारा ही लिया जा सकता है जिसने ऐसी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की थी।

एफ.

3. इसलिए, उचित विचार के बाद, सरकार ने निर्णय लिया है कि जी. ओ. नं.592/1-13-2002-आर. ए.-13 दिनांक 19 जून, 2002 तत्काल प्रभाव से, अब से अधिग्रहण से भूमि

की छूट से संबंधित सभी आवेदनों पर एल. ए. अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत अधिग्रहण निकाय के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसने अपनी अधिग्रहण कार्यवाही को अंजाम दिया।4. कृपया उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

जी.

एच.

869

यू. पी. आवास विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

आपकी ईमानदारी से,

एस. डी./- अवैध

वी. के. शर्मा

प्रधान सचिव इसके बाद विवादग्रस्त आदेश, अर्थात् 25.04.2008 दिनांकित आदेश पारित किया गया।उक्त आदेश इस प्रकार है।उत्तर प्रदेश सरकार

बी.

राजस्व धारा-13

नहीं.:69/1-13-08-7-5(11)/2004-Sa.-13

सी.

लखनऊः25 अप्रैल, 2008

अधिसूचना/रद्द करना

राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या 34/आर. एम./1-13-2005-7-5 (12)/2004 दिनांक 7 जुलाई, 2005 के माध्यम से खसरा संख्या को छूट देने के आदेश पारित किए थे। 7 रकबा 3.12 एकड़ और खसरा नं. यू. पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत जिला मथुरा में महोली भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या 2 के लिए वर्ष 1973 में किए गए अधिग्रहण से ग्राम पालीखेड़ा, तहसील और जिला मथुरा में 3 रकबा 2.66 एकड़ (कुल 578 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया गया था।उक्त अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। ऑर्डर नं. 592/1-13-2002-Ra.-13 दिनांक 19 जून, 2002 भूमि अधिग्रहण से छूट से संबंधित है।

डी.

ई.

2. 19 जून, 2002 के उपरोक्त जी. ओ. को रद्द करते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित) की धारा 48 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण से छूट से संबंधित राजस्व विभाग की शक्तियों को सभी प्रशासनिक विभागों को आवंटित किया गया है, जी. ओ. संख्या 2991/1-13-2006-20-2006-20 (46)/2002-Ra.-13 दिनांक 15 सितंबर, 2006 के अनुसार।इन आदेशों के अनुसार, अब भूमि के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही करने वाले विभाग के पास भूमि छूट आवेदन का निपटारा करने और उस पर कार्रवाई करने की शक्ति होगी।उपरोक्त शक्तियाँ सभी प्रशासनिक विभागों को इस कारण से सौंपी गई थीं कि अधिग्रहण निकाय/प्रशासनिक विभाग के कब्जे की स्थिति में कभी-कभी विवाद उत्पन्न होते हैं और इस आशय की राय समय पर प्राप्त नहीं होती है कि ऐसी भूमि का कब्जा ले लिया गया है या नहीं या अधिग्रहण द्वारा भूमि की आवश्यकता है या नहीं।

एफ.

जी.

एच.

निकाय/प्रशासनिक विभाग या नहीं।इस संबंध में यह पाया गया है कि अधिग्रहण निकाय का प्रशासनिक विभाग उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उचित निर्णय ले सकता है।

3. आवास विभाग (प्रशासनिक विभाग) ने पैरा-1 और अधिसूचना सं. 34/आर. एम./1-13-2005-7-5 (12)/2004 दिनांक 7 जुलाई, 2005 इस आधार पर कि उक्त अधिसूचना अधिग्रहण निकाय/प्रशासनिक विभाग से सहमति लिए बिना जारी की गई है जो यू. पी. आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।प्रशासनिक विभाग ने राजस्व विभाग की 7 जुलाई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है।

बी.

सी.

4. मामले में उचित विचार के बाद, यह पाया गया है कि पैरा 2 में उल्लिखित स्थिति के साथ-साथ अधिसूचना सं. 1291/1-13-2006-20 (46)/2002-Ra-13 दिनांक 15 सितंबर, 2006, यह उचित प्रतीत होता है कि इस संबंध में प्राप्त आवेदनों का निपटान प्रशासनिक विभाग (आवास विभाग) द्वारा किया जाना चाहिए।अतः 7 जुलाई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना को एतद्द्वारा वापस ले लिया जाता है।जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की रिपोर्ट के साथ भूमि मालिक के आवेदन को प्रशासनिक विभाग (आवास विभाग) को इस टिप्पणी के साथ भेजा जा रहा है कि मामले का निपटारा किया जा सकता है और राजस्व विभाग द्वारा 15 सितंबर, 2006 को जारी जी. ओ. के आलोक में उचित/अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।बलविंदर कुमार

डी.

ई.

प्रधान सचिव यह वह आदेश है जिसे अपास्त करना दिया गया है और जिसने विचाराधीन अपीलों को जन्म दिया है।

एफ.

13. हम, विवाद से निपटने से पहले, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित बिंदु पर कानून पर ध्यान दे सकते हैं।जनहित में भूमि अधिग्रहण की अनुमति है।निस्संदेह, अनुच्छेद 300 ए घोषणा करता है कि अपनी संपत्ति को अभाव से बचाना किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और अभाव की अनुमति केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है।

जी.

14. तथापि, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसके संबंध में कानून समय-समय पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अपनी अभिव्यक्ति पाता है, व्यक्तियों की भूमि/संपत्तियों का अधिग्रहण करना पड़ सकता है।

एच.

871

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जिसके लिए प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अन्य बातों के साथ निर्धारित की गई है।धारा 6 के तहत घोषणा से गुजरने वाली धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के साथ शुरुआत करने के बाद धारा 9 के तहत नोटिस दिए जाते हैं, अंत में यह एक पुरस्कार में समाप्त होता है।इस बीच, यदि तत्काल कब्जा लेने की आवश्यकता है, तो धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने पर और

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत जारी किए गए नोटिस के 15 दिनों के बाद भी धारा 5 ए के तहत जांच करके कब्जा लिया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 इस प्रकार हैः

बी.

“48. अधिग्रहण पूरा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा नहीं होने पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।–(1) धारा 36 में उपबंधित मामले को छोड़कर, सरकार किसी भी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है।

सी.

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस या उसके तहत किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा और इच्छुक व्यक्ति को उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्चों के साथ ऐसी राशि का भुगतान करेगा।

डी.

(3) इस अधिनियम के भाग 3 के प्रावधान इस धारा के तहत देय मुआवजे के निर्धारण पर, जहां तक हो सके, लागू होंगे।”

ई.

15. सबसे पहले तो यह आभास देता है कि यह सरकार को अधिग्रहण से हटने के लिए एक बेलगाम लाइसेंस देता है।चूँकि यह एक ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों के मामले में एक वैधानिक प्राधिकरण के साथ निहित है, इसलिए धारा 48 के तहत शक्ति के प्रयोग में सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता और मनमानेपन से बचने की अनिवार्य आवश्यकता अपरिहार्य है।यह इस न्यायालय द्वारा 1998 (1) एस. सी. सी. 591 और 1998 (4) एस. सी. सी. 387 में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।1998 (1) एस. सी. सी. 591 में, अपीलार्थी के स्कूल से सटे भूमि का अधिग्रहण किया गया था।सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 को लागू किया।वापस लेने का कारण यह बताया गया था कि चूंकि लागत का कोई भी हिस्सा सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाना था, इसलिए अधिग्रहण को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाए नहीं रखा जाएगा।न्यायालय ने पाया कि कारण अवैध है जो एक गलत धारणा पर आधारित है, मनमाना और प्रामाणिक नहीं है।अपीलार्थी सफल हुआ।सरकार को पुनर्विचार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था

एफ.

जी.

बात है।अधिग्रहण से हटने की कोई मनमानी शक्ति नहीं है।धारा 48 के तहत निर्णय को न्यायसंगत मुद्दा माना गया था।लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनामगुजरात राज्य और अन्य, 1998 (4) एस. सी. सी. 387 इस न्यायालय ने घोषणा की कि यदि धारा 48 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है तो एक अधिसूचना प्रकाशित की जानी चाहिए, और इसके अलावा उस कंपनी को अवसर दिया जाना चाहिए जिसके लिए अधिग्रहण किया जा रहा था।हम निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैं।

बी.

“31. इसलिए, कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं।यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का फैसला करती है जिसका कब्जा नहीं लिया गया है तो आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है।किसी मालिक को अधिग्रहण से पीछे हटने के राज्य सरकार के इरादे की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।मालिक के अधिकार अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हैं और यदि उसे अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई नुकसान हुआ है, तो उसे मुआवजा दिया जाना है और धारा 48 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि इस तरह के मुआवजे का निर्धारण कैसे किया जाना है।इसलिए, जब मालिक की भूमि अधिग्रहण से वापस ली जाती है, तो कोई कठिनाई नहीं होती है।हालांकि, किसी कंपनी के मामले में, उसे किसी भी आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिसे राज्य सरकार अधिग्रहण से वापस लेने का प्रस्ताव करती है।इसके कारणों की तलाश ज्यादा दूर नहीं है।धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, जब राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी कंपनी के लिए किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है, तो ऐसी भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे अधिसूचित किया गया है, अधिनियम की धारा 5-ए (1) के तहत आपत्तियां दायर कर सकता है। ऐसी आपत्तियाँ कलेक्टर को लिखित रूप में दी जानी चाहिए और जो आक्षेपकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जो कलेक्टर आवश्यक समझता है, अपने निर्णय के लिए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देना है।फिर आपत्तियों पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होता है। अधिग्रहण की प्रक्रिया में अन्य प्रावधानों के लागू होने से पहले, कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 39 के तहत राज्य सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है और न ही जब तक कि कंपनी ने अधिनियम की धारा 41 में दिए गए समझौते को निष्पादित नहीं किया हो।

ऐसी सहमति देने से पहले, धारा 40 एक पूर्व जांच पर विचार करती है।फिर भूमि ए के नियम 3 और 4 का अनुपालन

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

873

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963 अनिवार्य है।धारा 40 और 41 के चरण तक पहुँचने के बाद, कंपनी द्वारा राज्य सरकार के साथ इस प्रकार किए गए समझौते को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है, यह अधिनियम की धारा 42 है जिसमें प्रावधान है कि इसके प्रकाशन पर समझौते का वही प्रभाव होगा जैसे कि यह अधिनियम का हिस्सा था। यह सब करने के बाद, राज्य सरकार एकतरफा रूप से और कंपनी को नोटिस दिए बिना अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती है।अधिग्रहण से हटने के लिए राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कंपनी को कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा अधिसूचना द्वारा केवल अधिनियम की धारा VII के तहत औपचारिकताओं के बाद की जाती है जिसमें धारा 39 से 42 शामिल हैं और अधिनियम की धारा 5-ए (2) के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष होती है जो इस संतुष्टि पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहमति देती है कि यह कंपनी के लिए आवश्यक है।इस प्रकार, अधिग्रहण से पीछे हटने के राज्य सरकार के प्रस्तावित निर्णय का विरोध करने के लिए कंपनी को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त होता है। राज्य सरकार के पास अधिग्रहण से पीछे हटने के ठोस कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों से कंपनी को अवगत कराया जाना चाहिए जिनके पास समान रूप से ठोस कारण हो सकते हैं या शायद इससे भी अधिक कारण हो सकते हैं जो राज्य सरकार को अधिग्रहण से पीछे हटने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए राजी कर सकते हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी (एल एंड टी लिमिटेड) को बिना किसी सूचना के दिनांकित यदी (ज्ञापन) और दिनांकित यदी (ज्ञापन) जारी किए गए थे और इस प्रकार, वैध नहीं हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. अधिग्रहण से हटने का निर्णय न्यायोचित है।दूसरे शब्दों में, जिसे सरकार के पास स्वतंत्रता या शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, उसे निष्पक्ष और प्रामाणिक तरीके से कार्य करने के कर्तव्य के रूप में भी समझा जाना चाहिए।इसका मतलब यह है कि अपरिहार्य और अपरिहार्य आवश्यकता को प्रस्तुत करें, अर्थात्, अधिनियम के तहत भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है, यह एक उपयुक्त और उपयुक्त मामले में खुला है और जनहित और सरकार के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।अधिग्रहण से हटने का निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक सूचनाओं को ध्यान में रखना प्राधिकरण का कर्तव्य है।यह भी स्पष्ट है कि अधिग्रहण से निकासी से पहले उस लाभार्थी को अवसर दिया जाना चाहिए जिसके कहने पर अधिग्रहण किया जाना है।यह भी स्पष्ट है कि अधिग्रहण से निकासी केवल अधिसूचना जारी करके ही की जा सकती है।इसके लिए इस न्यायालय के फैसले में विस्तृत रूप से तर्क दिया गया है।

एफ.

जी.

एच.

1998 (4) एस. सी. सी. 387 (उपर्युक्त) के मामले में।2001 (1) एस. सी. सी. 610 में इस न्यायालय ने दोहराया कि धारा 48 के तहत शक्ति शामिल करने से पहले लाभार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

17. एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि धारा 48 के तहत प्रयोग की गई शक्ति की वास्तविक प्रकृति क्या है।यह एक ऐसी शक्ति है जो एक वैधानिक प्राधिकरण के पास निहित है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि शक्ति का प्रयोग उन आदेशों के संदर्भ में किया जाएगा जिनके तहत सक्षम प्राधिकारी को मामले में कार्य करने का अधिकार होगा।जो कोई भी प्राधिकरण है जो मौजूदा मानदंडों के अनुसार शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वह उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो शक्ति के

प्रयोग के लिए एक चुनौती के सामने अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।

बी.

सी.

18. सवाल यह उठेगा कि क्या एक बार जब शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग किया गया है और यह 1998 (4) एस. सी. सी. 387 (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा बोली गई अधिसूचना में समाप्त हो गया है, तो अधिसूचना को वापस लेने के लिए प्राधिकरण खुला है।इस मामले में, भूमि मालिक और कथित खरीदारों द्वारा भूमि मालिक से एक अभ्यावेदन दिया गया था।अन्य बातों के साथ-साथ, यह उनका मामला था कि कब्जा नहीं लिया गया था।उक्त अनुरोध के आधार पर, 07.07.2005 पर धारा 48 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है।अधिसूचना की सामग्री, अन्य बातों के साथ, यह इंगित करती है कि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था और कब्जा लेना वास्तविक कब्जा नहीं है।हम पहले ही देख चुके हैं कि कब्जा लेना जो धारा 48 के तहत शक्ति के प्रयोग को रोकता है, वह खास कब्जा या वास्तविक कब्जा लेना होना चाहिए।दिनांकित 07.07.2005 अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अपीलार्थी को प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया था और इसके बाद तीन अनुस्मारक दिए गए थे।यह भी देखा गया है कि अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए, जहां तक लाभार्थी का संबंध है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना धारा 48 के तहत अधिग्रहण से वापसी की गई थी।

डी.

ई.

एफ.

19. आदेश में कोई संदेह नहीं है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि उन मामलों में कब्जा लिया जा सकता है जहाँ धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की समाप्ति पर तात्कालिकता खंड लागू किया जाता है।यहाँ प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है कि क्या कब्जा संबंधित तिथि के संदर्भ में लिया गया था जो धारा 9 (1) के तहत नोटिस का प्रकाशन है।भूमि ए की धारा 9 (1)

जी.

एच.

875

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अधिग्रहण अधिनियम वास्तव में सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता के बारे में बताता है।धारा 9 (3) भूमि मालिकों को व्यक्तिगत नोटिस देने के कर्तव्य के बारे में बात करती है।जैसा कि श्री विश्वजीत सिंह ने सही बताया है, धारा 9 (3) के तहत नोटिस न देना अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।लेकिन फिर श्री यतींद्र सिंह द्वारा बताए गए धारा 9 (3) नोटिस की प्रासंगिकता यह है कि यदि इसे पेश किया जाता और साबित किया जाता, तो यह अपीलार्थी के मामले को साबित करने में एक लंबा रास्ता तय करता कि वास्तव में कब्जा ले लिया गया था। इस संबंध में, यह ध्यान देना उचित है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में की गई अपील में, अपीलार्थी ने अभिनिर्धारित किया कि उसके पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि नोटिस जारी किया गया था।हम 2012 की सिविल अपील संख्या 6272 में 11.02.2016 पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सामग्री पर ध्यान दे सकते हैं।

बी.

सी.

“1. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती दिनांक 1 की अधिसूचना के संबंध में थी, जिसमें दिनांक 2 की पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, जिसके द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 48 के तहत शक्ति के प्रयोग में विषय भूमि को छूट दी गई थी।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अन्य बातों के साथ-साथ आई. डी. 1 के आदेश अपास्त करना कर दिया, जिसमें कहा गया कि आई. डी. 2 की अधिसूचना कानूनी और वैध थी क्योंकि अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई नोटिस 2 जारी नहीं किया गया था और न ही अधिनियम की धारा 16 या 17 के तहत कब्जा ले लिया गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांकित 25.04.2008 की विवादित अधिसूचना जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, जो दिनांकित 07.07.2005 की पूर्व अधिसूचना को प्रतिस्थापित करती है।

डी.

ई.

2. हमारे समक्ष, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में तथ्यात्मक त्रुटि की है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था या भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था।उपर्युक्त तर्क को अपील के ज्ञापन के साथ हमारे सामने रखे गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर प्रचार करने की मांग की गई है।पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी की ओर से कहा जाता है कि उक्त दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया था।आग्रह की गई याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से समर्थन

मिलेगा।3. चूंकि उक्त दस्तावेजों पर विचार करने के लिए हमें कई संबंधित प्रश्नों/तथ्य के मुद्दों को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को मूल रूप से देखने की भी आवश्यकता हो सकती है, हमारा विचार है कि इस अपील पर आगे विचार करने के बजाय, यह होगा

एफ.

जी.

एच.

यदि अपीलार्थी चाहे तो विवादित आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना अधिक उचित होगा।

4. हम, तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को छह सप्ताह की अवधि के लिए बनाए रखते हुए उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटारा करते हैं, जिसके भीतर अपीलार्थी के लिए उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त करने का भी अधिकार होगा।

बी.

5. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।"

20. श्री विश्वजीत सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिनांकित 25.09.1985 नोटिस द्वारा स्टोर रखने और इसे धारा 9 (3) के तहत नोटिस होने का दावा करने का प्रयास विद्वान गया थाः

सी.

"सूचना

विशेष भूमि अधिग्रहण का कार्यालय

अधिकारी (II),

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद, आगरा सं.:6/8-एस. एल. ए. ओ. (ए. वी. पी.)-
तिथिः25.9.85

डी.

विषयःमहोली भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या 2, मथुरा

श्री राम रतन पुत्र घुरे

ई.

गाँव नकाती, मथुरा इस सूचना के माध्यम से आपको सूचित करना है कि ग्राम पालीखेड़ा, परगना, तहसील और जिला मथुरा की भूमि के लिए, जिसे उपरोक्त योजना के तहत अधिग्रहित किया गया है, पुरस्कार पारित करने के लिए 28.9.85 निर्धारित किया गया है।

एफ.

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त तिथि पर मेरे सामने कलेक्टोरेट, मथुरा में उपस्थित रहें और पुरस्कार के बारे में सूचित किया जाए।एसडी/- अवैध

25.9.85

आत्मा राम त्रिपाठी विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी यू. पी. आवास एवं विकास परिषद, आगरा

जी.

एस. डी/- राम सिंह

========== ए.

एच.

877

यू. पी. आवाम विकास परिसद घर के माध्यम से

आयुक्त बनाम राम सिंह (डी) टी. एच. एलआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

साहब,

आपके निर्देशों के अनुसार, मैं नोटिस देने के लिए उपरोक्त पते पर गया था।रिसीवर राम रतन घर में मौजूद नहीं पाए गए।

इसलिए, नोटिस की एक प्रति प्राप्तकर्ता के बेटे को सौंप दी गई और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए।

बी.

एस. डी./- राम ऑटार "

21. नोटिस की सामग्री स्पष्ट रूप से बताएगी कि इसे धारा 9 (3) के तहत नोटिस के रूप में नहीं समझा जा सकता है।इसके बजाय, यह एक सूचना है जो मालिक को इस तथ्य के बारे में सूचित करती है कि पुरस्कार 28.09.1985 पर पारित किया जाने वाला है।हम देख सकते हैं कि धारा 9 (3) के तहत तथाकथित नोटिस की तारीख 25.09.1985 है।धारा 9 के तहत एक नोटिस के बाद धारा 10 के तहत जांच की जानी चाहिए और धारा 11 के तहत पुरस्कार को निश्चित रूप से नोटिस के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो केवल मालिक को पुरस्कार पारित करने के लिए निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करता है।नोटिस की तारीख और पुरस्कार पारित करने के लिए निर्धारित तारीख के बीच केवल तीन दिनों का अंतराल होता है। इसलिए, अपीलार्थियों यह साबित नहीं कर पाए हैं कि धारा 9 (3) के तहत कोई नोटिस जारी किया गया था।

सी.

डी.

22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री विश्वजीत सिंह ने यह इंगित करते हुए सही कहा है कि पुरस्कार में पाठ यह है कि प्रत्यर्थी (मूल मालिक के बेटे) को सुना गया था और पुरस्कार में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक धन मुकदमा था जो प्रत्यर्थी के खिलाफ तय किया गया था और अवमूल्यन राशि को पुरस्कार की आय से आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

ई.

23. हालाँकि, दिनांक 25.04.2008 के विवादित आदेश के आधार पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुरोध का उल्लेख करने के बाद, प्राधिकरण ने सरकार द्वारा जारी दिनांक 15.09.2006 के आदेश से समर्थन प्राप्त करने का इरादा किया है।दिनांक 15.09.2006 के आदेश में निस्संदेह घोषणा की गई थी कि अधिग्रहण से छूट या अधिग्रहण से निकासी पर संबंधित विभाग का ध्यान जाना चाहिए।इसकी शर्तों से संकेत मिलता है कि सरकार ने वर्ष 2002 में पारित पहले के आदेश को समाप्त करने का निर्णय लिया है।दिनांकित 15.09.2006 आदेश में स्पष्ट है कि इसका 'तत्काल प्रभाव' होना था।इसका मतलब है कि यह पूर्वव्यापी नहीं था।इसका आगे अनिवार्य रूप से मतलब है कि यह उन आदेशों/अधिसूचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है जिन्हें 15.09.2006 से पहले धारा 48 के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए जारी किया गया था।फिर भी दिनांकित 25.04.2008 आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सरकार ने कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ गई है

एफ.

जी.

एच.

दिनांकित 15.09.2006 आदेश का आधार।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना किया गया विवादित आदेश पूरी तरह से एक ऐसे आदेश पर आधारित है जिसका तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।हम यह इस कारण से कहते हैं कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब धारा 48 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है, तो किसी मामले में प्राप्त तथ्यों के बावजूद इसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है।इस तथ्य के अलावा कि यह किसी दिए गए मामले में पीड़ित पक्ष के कहने पर न्यायालय में चुनौती देने के लिए खुला है, यदि यह दिखाया जाता है कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो प्राधिकरण के लिए इसे पूर्ववत करने के लिए खुला हो सकता है।यह एक प्रशासनिक आदेश है, निस्संदेह एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया गया है।चूँकि कानून यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं और शक्ति का उपयोग लाभार्थी को मालिक से अलग अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जा सकता है, ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि एक अधिसूचना बिना किसी सूचना के जारी की गई थी, जो एक वैध अधिसूचना पारित करने के लिए अपरिहार्य है, यह सरकार के लिए अधिसूचना के प्रभाव को पूर्ववत करने के लिए खुला हो सकता है।इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी का अपने अभ्यावेदन में यह भी मामला नहीं है कि अधिसूचना में यह कथन कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अपना अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था, गलत था।अपीलार्थी के अभ्यावेदन में ऐसा कोई मामला नहीं था कि उसे आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।अपीलार्थी यह तर्क देते हुए इस चूक को ठीक करना चाहता है कि एक आधार उठाया गया था कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया था।हमें नहीं लगता कि हमें अपीलार्थी को ऐसी चूक करने की अनुमति देनी चाहिए जो इस मामले के तथ्यों में हमारे चेहरे पर टकटकी लगाए।हम समझते हैं कि अपीलार्थी ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है।इस प्रकार, अपीलें खारिज हो जाती हैं।यह कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपीलार्थी के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा।दलों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः अजय, एलसीआरए)

जी.

एच.